भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1442

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

कोयला खदानों की नीलामी

1442. श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री राजमणि पटेल:
श्री शक्तिसिंह गोहिल:
श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2015 से 2020 तक सरकार द्वारा 112 खदानों में से लगभग 70 खदानों की नीलामी करने में विफल रहने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या नई सूचीबद्ध की गई 41 खदानों में पुरानी सूची में से नीलाम नहीं की गई खदानें भी शामिल हैं; और

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नीलामी के लिए सूचीबद्ध की गई नई खदानों में से 21 खदानें वर्ष 2011 में वर्गीकृत 'नो गो' क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं, और ऐसे वर्गीकरण के बावजूद इस दिशा में आगे बढ़ने के क्या कारण हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): कोयला खानों की नीलामी एक सतत प्रक्रिया है। नीलामी प्रक्रिया की सफलता बोलीदाताओं से प्राप्त प्रत्युत्तर पर निर्भर करती है। संभावित बोलीदाताओं को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए गए हैं:-

(i) कोयला खानों की नीलामी में व्यापक भागीदारी और प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 13.03.2020 को अधिनियमित किए गए खनिज कानून संशोधन अधिनियम, 2020 के माध्यम से कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 [सीएमएसपी अधिनियम] और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम] में संशोधन किए गए हैं। इन अधिनियमों में किया गया संशोधन निम्नलिखित को सक्षम करेगा:-

- समग्र पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के लिए कोयला ब्लॉकों का आवंटन जिससे आवंटन हेतु कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की सूची को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- पुनरावृत्तीय और अनावश्यक प्रावधान जिसके लिए उन मामलों में भी केंद्र सरकार के पिछले अनुमोदन की आवश्यकता होती है जहां कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक का आवंटन या आरक्षण स्वयं केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, उसे हटा दिया गया है।
- सीएमएसपी अधिनियम के तहत अनुसूची-II और III कोयला खानों के अंत्य उपयोग का निर्णय लेने में केंद्र सरकार को लचीलापन प्रदान किया गया।
- वे कंपनियां जिन्हें भारत में कोयला खनन का कोई पूर्व अनुभव नहीं है, अब कोयला ब्लॉकों की नीलामी में भाग ले सकती हैं।

(ii) राजस्व साझेदारी आधार पर कोयला/लिग्नाइट की बिक्री के लिए कोयला और लिग्नाइट खानों/ब्लॉकों की नीलामी की पद्धति दिनांक 28.05.2020 को जारी की गई थी।

(ख): कोयला मंत्रालय ने सीएमएसपी अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम के तहत दिनांक 18.06.2020 को वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खानों की नीलामी शुरु की थी। तथापि, नीलामी प्रक्रिया के दौरान छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के अनुसार, 6 खानों को वापस ले लिया गया था और 3 नई खानों को जोड़ा गया था जिससे नीलामी के लिए उपलब्ध खानों की कुल संख्या 38 हो गई थी। इन 38 खानों को सीएमएसपी अधिनियम के तहत 11वें दौर और एमएमडीआर अधिनियम के तहत पहले दौर में नीलामी के लिए रखा गया जिसमें कुछ सीएमएसपी खानें भी शामिल हैं, जिन्हें नीलामी के पूर्व दौर में रखा गया था।

(ग) : वर्तमान पद्धति के अनुसार, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय ने अधिकांश कोयला ब्लॉकों का संरक्षण मूल्य निर्धारित करने के लिए संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की थी और निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) सॉफ्टवेयर की सहायता से कोयला ब्लॉकों को उच्च संरक्षण मूल्य, मध्यम संरक्षण मूल्य और निम्न संरक्षण मूल्य के तहत वर्गीकृत किया गया था। कोयला ब्लॉक के संरक्षण मूल्य पर विचार किए बिना, कोयला खनन के लिए वन भूमि का डायवर्जन प्राप्त करने संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव पर मामला-दर-मामला आधार पर उनकी विशेषता के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है और विचार किया जाता है।

*****